

पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

थैयाता



गाँव - थैयाता

पंचायत - कहारी

तहसील - दोवड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास

गाँव के इतिहास के बारे में बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि यह गाँव आजादी के समय से 100 वर्ष पूर्व का है। इस गाँव का नाम थाना नामक व्यक्ति के नाम से पड़ा है। यह अपने पूरे परिवार के साथ चित्तौड़ से मांडव आकर बसे थे। कुछ वर्षों बाद वह यहाँ इस गाँव में आकर बस गये थे, वो अपने साथ भेड़ माताजी लेकर आये थे जो अभी डोजा पंचायत के तलैया में स्थापित है। तब से उन्हीं के परिवार के लोग आज भी गाँव में रह रहे हैं।

कहारी ब गाँव का परिचय

थैयाता गाँव कहारी ग्राम पंचायत का एक राजस्व गाँव है। कहारी पंचायत में चार राजस्व गाँव हैं - कहारी अ, कहारी ब, थैयाता और डोलवर निचली। थैयाता गाँव जिला मुख्यालय डूंगरपुर से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। गाँव में 3 फले हैं - थैयाता, रगोला और नयी बस्ती। थैयाता गाँव के सीमावर्ती गाँव वलोता, मारगिया, हिराता, डोजा, धरतीमाता और राजगढ़ी हैं।

वर्ष 2009, जनवरी में गाँव में पेसा कानून के तहत शिलालेख हो गया और गाँव सभा का गठन कर दिया गया। गाँव के तय स्थान पर गाँव सभा की बैठके की जाती है और गाँव के मुद्दों पर गाँव सभा द्वारा फैसले लिए जाते हैं। थैयाता में करीब 90 घर हैं, जिनकी आबादी लगभग 480 है। थैयाता में केवल आदिवासी जाति के रोट, बरंडा और परमार उप-जातियों के लोग रहते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य समाज या जाति के लोग नहीं हैं। यह गाँव पूरी तरह से आदिवासी जनजाति-बाहुल्य गाँव है। गाँव की पूरी जमीन का रकबा 207.76 हेक्ट. है जिसमें कृषि योग्य जमीन, चारागाह जमीन 80, बीघा और 24 बीघा बेनामी जमीन और जंगल की जमीन शामिल है। गाँव की कुल रकबा जमीन में ही पहाड़ भी शामिल है। गाँव की जमीन पथरीली, पहाड़ी ढलान और उबड़-खाबड़ है, जिस कारण अच्छी खेती, पर्याप्त आजीविका के साधन, अच्छी सड़क सुविधा की गाँव में ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

यातायात और आवागमन

गाँव तक जाने के लिए डूंगरपुर बस स्टैंड से रोडवेज बस की सहायता से बांसवाडा जाने वाले रोड पर डोजा मोड़ उतर कर गाँव तक जाया जा सकता है। यह सड़क गाँव के बीच में से होकर गुजरती है। गाँव में सड़क व्यवस्था काफी कमजोर है और सड़कों की कमी है। गाँव में सिर्फ 1 पक्की सड़क है जो अच्छी हालत में है। गाँव में सी. सी. सड़क 2 ही है और गाँव के भीतर जाने के लिए 1 कच्ची सड़क है, जो मेनरोड से रगोला तक जाती है। सी.सी. सड़के और कच्ची सड़क तेज बारिश के कारण कटकर बह गयी है। गाँव की जमीन ऊची-नीची और पहाड़ी है जिस कारण रोड़ बनाने में समस्या आती है। गाँव में 1 बस स्टैंड बना है। वहाँ पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। गाँव के मुख्य सड़क से ऑटो, जीप दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते हैं। गाँव के फलों में ग्रामीण अपने नीजी वाहन जैसे मोटर

साइकिल का उपयोग करते हैं या फिर पैदल जाया जाता है। क्योंकि गाँव के फलों के पगडण्डिया काफी सकरी है जिससे पहाड़ी पर रहने वालों को आने जाने में समस्या होती है।

शिक्षा व स्वास्थ्य

गाँव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 78 बच्चे और 4 अध्यापक नियुक्त हैं। 1 प्राथमिक विद्यालय रगोला में और 1 प्राथमिक विद्यालय थैयाता में है। दोनों विद्यालयों का भवन जर्जर हो गया है। अध्यापकों की कमी है। प्राथमिक स्कूलों की छत और फर्श टूट चुकी है, छत से प्लास्टर गिरता है जिससे बच्चों के साथ हादसा होने की आशंका बनी रहती है। कक्षा-कक्ष भी जर्जर हो गये हैं। स्कूलों में शौचालय की हालत बदतर है, सफाई के अभाव में बहुत गंदे हो गये हैं। पीने के पानी के लिए लगा हैंडपंप भी खराब है। पीने के पानी के लिए आर.ओ. नहीं लगा है। बहुत ही कम बच्चे 8वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए 5 किमी दूर आंतरी जाते हैं। पढ़ने के लिए सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहारी अ गाँव में है। स्नातक स्तर की शिक्षा के लिये डूंगरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे डूंगरपुर में छात्रावास में या किराये पर कमरा लेकर रह रहे हैं।

गाँव में साधारण बिमारियों के इलाज के लिए उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। गाँव में किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा, दवाई की दुकान नहीं है। इलाज के लिए 5 किमी दूर आंतरी पी.एच.सी. या 20 किमी दूर डूंगरपुर जाते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा भी नहीं है लेकिन मेन रोड़ तक मरीज को किसी तरह उठाकर लाना पड़ता है और यहाँ से निजी वाहन की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है।

कृषि और रोजगार की स्थिति

गाँव में कुल 30 हेक्ट जमीन कृषि भूमि है। गाँव में सिंचाई के लिए पानी की भी बहुत कमी है। इस कारण गाँव की मुख्य फसल जैसे - मक्का, उड़द, मूँग की खेती बारिश के मौसम में कर ली जाती है। अधिकतर खेती की जमीन उबड़-खाबड़ और पहाड़ी है। जमीन के पथरीली होने के कारण इतना उत्पादन नहीं होता है। बारिश के बाद गाँव में तेजी से जल स्तर नीचे चला जाता है अभी गाँव का भू जल-स्तर 200 से भी अधिक गहराई में है। इसलिए सिंचाई का पानी पूरा नहीं मिल पाता है। खेती से चार या पांच माह खाने भर का अनाज होता है उसके बाद सरकारी राशन की दुकान या बाजार से खरीदना पड़ता है। जिसके लिए राशन की दुकान 5 किमी दूर डोजा गाँव में है, गेहूँ के अलावा 2-3 महीने छोड़कर 2 लीटर केरोसिन दिया जाता है।

घर चलाने के लिए आजीविका का साधन या रोजगार के नाम पर गाँव में खेती ही प्रमुख है और सरकारी योजना में मनरेगा में काम चलता है, साल के अधिकतम 60 दिन काम मिलता है और मजदूरी भी 90-100 रूपए ही दिये जाते हैं। अधिकतर लोग कड़िया मजदूरी करते हैं या डूंगरपुर शहर में आते हैं और गुजरात में अहमदाबाद, मोडासा, हिम्मतनगर जाते हैं, जहाँ वे खेतों में तथा फेक्ट्री में काम करते हैं।

सिंचाई की व्यवस्था एवं स्थिति

गाँव में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। गाँव के खेतों में पानी की व्यवस्था के लिए 15 चालू कुओं में अधिकतम 10 फीट पानी रहता है, गाँव में 1 नाला बहता है जो डोजा की ओर से आता है इसकी रिंगवाल नहीं है जिस कारण बारिश में तेज बहाव से मिट्टी का कटाव होता है। नाले पर 2 एनिकट बने हैं एक का काम अधूरा है और दूसरा पुराना होने के कारण जर्जर हो गया है। गाँव में 2 तलावड़ी है। एनिकट और तलावड़ी में फरवरी तक पानी सूख जाता है। तलावड़ी में पानी का भराव छोटी होने के कारण कम ही होता है। सभी जल स्रोतों में मार्च आते आते पानी सूख जाता है या बंद हो जाता है। करीब 10 लोगों के पास खुद के कुओं की सुविधा है। मध्य ग्रीष्म ऋतु में पानी का जल स्तर 200 फीट नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है।

पशुपालन

गाँव में लोग गाय, बैल, बकरी, और भैंस पालते हैं जिनसे उनके दूध और खाने के लिए मांस की जरूरत पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये बकरे को डूंगरपुर शहर के बाजार में लाकर बेचते भी हैं जिससे भी आय हो जाती है। गाँव की चारागाह की जमीन नहीं है जंगल की जमीन पर वन विभाग का कब्ज़ा है। खेती में पशुओं के लिए चारा पानी की कमी से इतना नहीं हो पाता है जिससे पूरे वर्ष जानवरों को चारा खिलाने का काम चल सके। अक्सर चारे के अभाव में पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं। गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है जिस कारण सर्दी की वजह से पशुओं का सर्दी से बचाव नहीं हो पाता है। मार्च के बाद चारे और भूसे का ट्रक खरीदना पड़ता है जो 15000 से 18000 रुपए कीमत में पड़ जाता है जिसे 4-5 लोग मिल कर खरीदते हैं।

गाँव की चिन्हित समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

प्राकृतिक संसाधन

थैयाता गाँव में जंगल की जमीन उत्तर दिशा की ओर है जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा है। जंगल में ज्यादातर बबूल के पेड़ हैं जो किसी काम नहीं आते हैं पहले सागवान, तेंदुपत्ता, ढाक, टिम्बरु और आम के पेड़ बहुतायत थे। लेकिन वन विभाग के कब्जे में जाने के बाद और पानी की कमी के चलते जंगल खत्म हो गया है। अभी कुछ जमीन पर तेंदुपत्ता, टिम्बरु, ढाक जैसी लघुवन-उपज होती है। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए वन विभाग टेंडर निकाल कर ठेके पर देता है। गाँव के कुछ पहाड़ों पर गाँव का कब्ज़ा है। पहाड़ों में किसी प्रकार के खनिज संसाधन की उपलब्धता की जानकारी नहीं है। गाँव के लोग पहाड़ों से घर बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर निकल कर ले जाते हैं। गाँव के लोगों के द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक वन दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आवागमन की समस्या

गाँव की जमीन ऊची-नीची और पहाड़ी है जिस कारण रोड़ बनाने में समस्या आती है । गाँव में मात्र 1 पक्की सड़क है यह भी गाँव की सीमा पर है गाँव के भीतर फलों में जाने के लिए 2 सी.सी. सड़के और 1 कच्ची सड़क है । गाँव के फलों में ग्रामीण अपने नीजी वाहन जैसे मोटर साइकिल का उपयोग करते है या फिर पैदल जाया जाता है। क्योंकि गाँव के फलों के पगडण्डिया काफी सकरी है । गाँव में 1 बस स्टैंड बना है लेकिन यात्रियों के लिए पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है । गाँव के मुख्य सड़क से ऑटो, जीप दूसरे गाँव में जाने के लिए मिल जाते है । जिससे पहाड़ी पर रहने वालो को आने जाने में समस्या होती है । सवारी वाहन भी जब तक पूरे भर नहीं जाते तब तक नहीं चलते है जिससे लोग कहीं भी पहुँचने में लेट हो जाते है ।

भूमि व जल प्रबंधन की कमी

गाँव में ज्यादातर लोगों के पास अपनी कब्जे की जमीन के पट्टे नहीं है । सरकार की नीतियों के कारण लोगों को जमीन हाथ से जाने का भय है । खेत की जोत छोटी है और ज्यादातर खेत उबड़-खाबड़ है जिन्हें समतलीकरण की आवश्यकता है और असिंचित खेतों में नहरों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनमें केवल बारिश के पानी से ही फसल की पैदावार हो पाती है । गाँव में 1 बड़ा नाला है जिसकी रिंगवाल नहीं है और 15 चालू कुएं है जिसमे 10 फीट पानी ही रहता है जो पशुओ को पिलाने में काम में लिया जाता है 2 एनिकट है लेकिन जर्जर और बेकार हालत में है । बाकि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था या उपयुक्त साधन नहीं है । सभी जल जल-स्रोत मार्च तक सूख जाते है । गाँव में 6 चालू हैण्डपम्प है, सभी हैण्डपम्प का पानी फ्लोराइड से दूषित है। गर्मी में लोगो को 2 किमी की दूरी से पानी भर कर लाना पड़ता है । गर्मी में ना तो पीने को पानी मिल पाता है ना ही सिंचाई का पानी मिल पाता है।

पशुपालन संबंधित समस्या

गाँव में गाय, बैल, भैंस व बकरी पाली जाती है। गाँव में खेती की जमीन पर चारा होता है जो साल भर नहीं चल पाता है। खेती में सिंचाई के पानी की कमी के कारण खेतों में पशुओं के पर्याप्त मात्रा में चारा भी नहीं उगाया जाता है। जो भी चारा बारिश के माह में होता है वह केवल चार या पांच माह ही चल पाता है उसके पश्चात खरिद कर लाना पड़ता है। चारे की एक पुली या गटठर सात रूपये में खरिदते है या फिर 4-5 परिवार वाले मिल कर 15000 से 18000 रूपये में भूसे का ट्रक खरिदते है । गाँव में दूध और कृषि के उपयोग में लेने के लिए उन्नत किस्म के पशु नहीं है । चारे के अभाव में दुधारू पशु भी ज्यादा दूध नहीं देते है केवल घरभर का काम निकल जाता है । अक्सर चारे के अभाव में पशुओ की मृत्यु भी हो जाती है । गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है जिस कारण सर्दी की वजह से पशुओ का सर्दी से बचाव नहीं हो पाता है ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर

गाँव में पढने वाले बच्चों के लिए केवल 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और वॉ भी जर्जर हो गये हैं। दोनों विद्यालयों में 4 चार अध्यापक ही हैं। कमरे इतने पुराने हो गये हैं कि तेज़ बारिश में गिर जाये, स्कूल भवनों का रंग-रोगन उड़ गया है। विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कम है। स्कूल की छत और फर्श टूट चुकी है, छत से प्लास्टर गिरता है जिससे बच्चों के साथ हादसा होने की आशंका बनी रहती है। बच्चों को जमीन पर ही बैठना पड़ता है क्योंकि दरी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की हालत जर्जर है, सफाई के अभाव में बहुत गंदे हो गये हैं। पीने के पानी के लिए लगा हैंडपंप का पानी फ्लोराइड युक्त है। इन सभी कारणों की वजह से बच्चों का नामांकन भी कम होता है वे पास के गाँव के स्कूल में जाते हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। बहुत कम बच्चे उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ पाते हैं। स्नातक स्तर की शिक्षा के लिये इंगूरपुर शहर में आना पड़ता है, अधिकतर बच्चे इंगूरपुर में छात्रावास में या किराये पर कमरा लेकर रह रहे हैं।

गाँव में 1 आंगनवाड़ी है जो नई बनी है, लेकिन दूर के छोटे बच्चे वहाँ नहीं जा पाते हैं। पोषाहार को लेकर भी लोगो को समस्या है वहाँ पोषाहार अच्छा नहीं दिया जाता है। गाँव में साधारण बिमारियों के ईलाज के लिए उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। ईलाज के लिए 5 किमी दूर आंतरी पी.एच.सी. या 20 किमी दूर इंगूरपुर जाते हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए जिसके लिये टेम्पो या 108 की सुविधा भी नहीं है लेकिन मेन रोड़ तक मरीज को किसी तरह उठाकर लाना पड़ता है और यहाँ से निजी वाहन की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन इसके लिए मरीज को मुख्य सड़क पर लाना बड़ा ही दुभर कार्य है क्योंकि सड़क खस्ता हाल है और पगडण्डिया सकरी है जिन पर चार-पहिया वाहन नहीं जा सकता है। बड़ा हॉस्पिटल 20 किमी दूर इंगूरपुर में है।

कृषि एवं खाद्यान्न की स्थिति

थैयाता गाँव की खेती की जमीन पथरीली और पहाड़ी है जिसमें अच्छी खेती और उत्पादन सम्भव नहीं है। गाँव में सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। गाँव में पानी की कमी के कारण फसल बारिश के मौसम में उगायी जाती है क्योंकि बारिश के बाद गर्मी के मौसम में सिंचाई के पानी की कमी हो जाती है। चूँकि गर्मी में जल स्तर नीचे चला जाता है और पानी की कमी हो जाती है। गाँव में भू-जल स्तर 200 फुट नीचे चला गया है। हालाँकि वहाँ पर 5 चेकडैम, 3 नाले, 5 तालाब, 21 कुएँ हैं, 15 चालू कुओं में 6-7 फीट पानी रहता है जिससे पशुओं के लिए ही पानी मिल पाता है। सभी जल स्रोतों में पानी साल के फरवरी-मार्च महीने में खत्म हो जाता है। गाँव के तालाब में मिट्टी और कीचड़ से उथले हो गये हैं और इनसे लगातार पानी का रिसाव होता रहता है। ये भी सूखे ही रहते हैं। खेती में ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग, रासायनिक खादों का ज्यादा उपयोग, मिट्टी की उर्वरकता की जाँच नहीं करवाना और मौसम के अनुसार खेती की उपज लेने की जानकारी ना होने से भी कृषि घाटे का सौदा साबित होता जा रहा है।

जितनी मेहनत और पैसा लग जाता है दाम और उत्पादन उसके मुकाबले कम है । वर्तमान में जो पानी को ना सहेजने की प्रवृति है वो बनी रही तो भविष्य में गाँव खाली करने या दूसरी जगह पर विस्थापित होने की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है । गाँव में खेती से होने वाला अनाज केवल 4 या 6 माह ही चल पाता है, खेती से होने वाला अनाज पर्याप्त नहीं होने के कारण खरीद कर लाना पड़ता है। जिसके लिये सरकारी उचित मूल्य की दुकान डोजा गाँव में है । राशन की दुकान पर केवल गेहूँ मिलता है, चीनी तथा केरोसीन त्योंहारों पर ही मिलता है। केरोसिन भी 2 लीटर ही दिया जाता है । कई बार राशन की दुकान पर दिया जाने वाला गेहूँ भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है । राशन दुकान पर पॉस मशीन की भी समस्या रहती है। गाँव में जिन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया है उनका केरोसिन बंद हो गया है लेकिन इस योजना में गड़बड़ी है कि जिन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं मिला है उनका भी बंद हो गया है । गाँव के लोगो की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे हर महीने सिलेन्डर खत्म होने पर उसे फिर से रिफिल करवा पाए ।

आजिविका एवं रोजगार के साधनों की कमी

गाँव में रोजगार का मुख्य साधन या तो खेती है खेती के अलावा मनरेगा में मजदूरी एक मात्र आजीविका चलाने का साधन है । रोजगार की स्थिति काफी खराब है, गाँव के अधिकतर युवा गुजरात राज्य के अहमदाबाद, हिम्मतनगर, सूरत, मोडासा या महानगर बम्बई में मजदूरी करने के लिये जाते हैं। गाँव में नरेगा पर काम मिलता है। जिसमें गाँव की महिलायें जाती है तथा जो पुरुष यहां रह कर खेती करते है वे भी नरेगा में काम पर जाते हैं। वर्तमान में मनरेगा में जो मजदूरी दी जा रही है वह भी 100 रुपये तक ही दी जाती है। मनरेगा में काम भी 50-60 दिन ही मिलता है । गाँव के पढ़े - लिखे युवा लोग काम करने के लिए शहरों में आते है । कुछ लोग अच्छी जीविका की तलाश और अच्छी सुविधाओं के लिए दूसरे जिलों में भी पलायन कर गये है ।

अन्य

गाँव में शमशान घाट खुले में है, लोग अपने परिजनों के दाह-संस्कार शमशान घाट पर बिना टिन-शेड की छाया और चबूतरे के करते है । वहाँ पानी, रोड की व्यवस्था भी नहीं है न ही कोई बैठक व्यवस्था है । गाँव में योजना के तहत बने शौचालय आधे-अधूरे है पानी की कमी के चलते उपयोग नहीं हो पा रहा है । गाँव में सिर्फ 30 घरों में बिजली है । जिन घरों में यह सुविधा उपलब्ध है उन्हें भी 6-8 घंटे ही बिजली मिल पाती है और बिजली विभाग के कर्मचारी बिना मीटर रीडिंग किये ही बिल दे देते है जो की अनुमान से भी कहीं गुना ज्यादा होता है । गाँव में 50 प्रतिशत परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल गया है । बाकी के कई लोगो ने सिर्फ इसलिए नहीं लिया है क्योंकि गैस लेने पर उनका केरोसिन भी बंद हो जायेगा और उनके चूल्हे जलने और रोशनी के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं-

संसाधन	हालत	सम्भावना
जल नाला तलावड़ी एनिकट कुआं हैंडपम्प	गाँव में 1 बरसाती नाला है जिस पर 2 एनिकट बने हैं जो जर्जर हो गये हैं। 2 तलावड़ी है। गाँव में 15 कुएं हैं जिनमें गर्मियों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है केवल किसी तरह से पीने का काम चल जाता है। नाले की रिंगवाल नहीं है। जिससे मिट्टी का कटाव भी होता है। गाँव में सिर्फ 6 चालू हैंडपंप हैं उनका पानी भी फ्लोराइड युक्त है। ऐसी स्थिति में मवेशियों के पीने के पानी और सिंचाई की समस्या हो जाती है। सभी जल-स्रोतों में पानी मार्च माह तक ही रहता है। गर्मी में पीने का पानी दो किमी दूर से लाना पड़ता है।	गाँववासियों के अनुसार यदि नाले की रिंगवाल बना दी जाये तो पास के खेतों का कटाव नहीं होगा और तलावड़ी को गहरा करने से उसमें पानी ज्यादा रुक पायेगा। दोनों एनिकट की मरम्मत हो ताकि पूरे साल सिंचाई की सुविधा मिल जाये है। नाले के रास्ते पर छोटे छोटे चेकडेम बनाये जाए तो गाँव में जमीनी पानी का तो जलस्तर ऊंचा होगा। फ्लोराइड मुक्त पानी के लिए आर.ओ. प्लांट लगना चाहिए।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि पहाड़ जंगल चारागाह	गाँव में जमीन समतल नहीं है, अधिकतर पहाड़ी, उबड़-खाबड़-पथरीली जमीन है। गाँव में बिलानाम जमीन और जंगल पर सरकार और वन विभाग का कब्ज़ा है। सारी जमीनें असिंचित हैं। जिसपर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। पहाड़ में किसी भी प्रकार के खनिज मिलने की कोई जानकारी नहीं है। जंगल में जाने और वन-उत्पादों के एकत्रण पर वन विभाग ने रोक लगा दी है। चारागाह जमीन पर बबूल के पेड़ उगे हुए हैं।	गाँव की उबड़-खाबड़ जमीनों को अपना खेत अपना काम योजना के तहत समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। जंगल पर अधिकारपत्र लेकर उसको साफ करके सागवान, इमारती लकड़ी वाले पेड़ उगाना, विकसित करना। गाँव की बेकार, खाली जमीन पर फलदार वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं।
सड़क कच्ची सड़क सी.सी. सड़क पक्की सड़क	गाँव की जमीन ऊची-नीची और पहाड़ी है जिस कारण रोड़ बनाने में समस्या आती है। पक्की सड़क भी सिर्फ गाँव को जोड़ती है। सड़के टूट गयी है इनसे मिट्टी और कंकड़ उड़ते हैं जिस कारण धूल उड़ती है। सबसे ज्यादा मुसीबत का	गाँव में पक्की सड़क की संख्या बढ़ाई जाये। यदि गाँव के कच्चे रास्ते सी.सी. सड़क में बदले जाये और नयी चौड़ी सी.सी. सड़के बनायी जाये तो गाँव के भीतरी इलाके में आवागमन में सुविधा होगी। बस स्टैंड को चालू किया जाये और

	सामना मरीजों को हॉस्पिटल के लिए लाने ले जाने में और गर्भवती महिलाओं को होती है। बारिश के मौसम में तो समस्या और भी गहरा जाती है।	छोटी बस चलाई जाये।
स्कूल	गाँव में 2 स्कूल प्राथमिक है जिनकी छत से बारिश में पानी टपकता है और फर्श भी टूट रही है। खेल का मैदान नहीं है और शौचालय की स्थिति सही नहीं है। पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। स्कूल में अध्यापक भी कम है। दी जाने वाली शिक्षा की स्थिति काफी खराब दर्जे की है।	प्राथमिक स्कूल में छत के ऊपर चाइना मोजिक करवाकर और प्लास्टर करवा कर अच्छा बनाया जा सकता है। फर्श, शौचालय की मरम्मत करवाना। अध्यापक नियुक्ति हो, सभी सुविधाएँ पूरी और अच्छी मिले, यह कार्य गाँव सभा के माध्यम से करना है।
उज्ज्वला कनेक्शन गैस	गाँव में 50 प्रतिशत लोगो को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जिन्हें मिल गया उनका मिटटी का तेल बंद कर दिया गया है लेकिन साथ ही उन परिवारों का भी मिटटी का तेल बंद कर दिया गया है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है।	योजना को सही से लागू किया जाये और मिटटी का तेल पुनः शुरू किया जाये।

गाँव सभा द्वारा चिन्हित मुख्य समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं वरीयता

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/दीर्घकालिक
1	शिक्षा सम्बंधित समस्या	सार्वजनिक	गाँव में 2 प्राथमिक स्कूल है, जिसमें सिर्फ 4 अध्यापक नियुक्त है। स्कूल की छत से बारिश में पानी टपकता है और छत से प्लास्टर भी गिर रहा है साथ ही फर्श भी टूट रही है। स्कूल के शौचालय की स्थिति सही नहीं है। अध्यापकों की कमी है।	गाँव के स्कूलों में सभी व्यवस्था पूरी दी जाये और अच्छी दी जाये। पूरे अध्यापकों की नियुक्ति हो। तभी बच्चों का नामांकन दर बढ़ेगी और ड्रापआउट दर कम होगी।	तात्कालिक

2	पेयजल की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में 15 चालू कुएं हैं जिनमें 10 फीट पानी रहता है जो गर्मी में सिर्फ मवेशियों को पिलाने के काम आता है और 6 चालू हैंडपंप हैं बाकि सभी जल-संसाधन सूखे हैं या पानी नहीं आता है, गाँव का जलस्तर 200 फिट से नीचे चला गया है। गर्मी में तालाब के सूख जाने से मवेशियों के लिए भी पानी की समस्या हो जाती है।	जो हैंडपंप और कुएं बंद हो गये हैं या जिनमें पानी कम आने लगा है उन्हें गहरा करवाना और गाँव में आर.ओ. प्लांट लगवाना ताकि फ्लोराइड मुक्त पेयजल मिल पाए। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। जल-संरक्षण के प्रति लोगों की रुचि और जागरूकता बढ़ाना।	दीर्घकालिक
3	कृषि संबंधी समस्या	व्यक्तिगत / सार्वजनिक	गाँव की कृषि योग्य उपलब्ध भूमि उबड़ खाबड़ है। गर्मी में सिंचाई की सुविधा नहीं है। सिंचाई के लिए 1 बरसाती नाला है जिन पर बारिश का पानी गाँव में रोकने के लिए 2 एनिकट हैं, लेकिन जर्जर हैं। कुओं, एनिकट, नाले और तलावड़ी में पानी फरवरी के बाद समाप्त हो जाता है। पशुओं के पानी के लिए भी समस्या हो जाती है। सभी जल-स्रोतों में गर्मी के मौसम में पानी जल्दी खत्म हो जाता है।	खेतों अपना खेत - अपना काम योजना के अंतर्गत समतलीकरण करवाना। बारिश के पानी को रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण करना। घर और खेतों में टाके (पक्के खड्डे) बनवाना। एनिकट की मरम्मत करके उसकी ऊंचाई को बढ़ाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है।	तात्कालिक
4	रास्ते की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में पक्की और सी.सी. सड़को की कमी है गाँव में सी.सी. और	गाँवसभा कमेटियों के गठन के बाद नये रास्ते निर्माण के प्रस्ताव लिए गए हैं और	तात्कालिक

			कच्ची सड़के तेज बारिश होने के कारण काफी खराब हो गयी है जिसके कारण हादसों की संभावना बनी रहती है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को समय पर चिकित्सकिय मदद नहीं मिल पाती है।	टूटे हुए रास्तों को फिर से ठीक करना और कच्ची सड़क को सी.सी. सड़क में बदलना।	
5	सरकारी योजनाओं की सही क्रियान्विति ना होना	व्यक्तिगत	गाँव में किसी को भी पशुबाड़ा नहीं मिला है। गाँव में अभी भी कुछ परिवार वालों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कई लोगों लोगों का आवास योजना का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन में समस्या यह है कि गाँव में सरकारी कागजातों में उम्र अलग-अलग होने से भी लोगों की पेंशन भी बंद है। और समय पर जीवित प्रमाणपत्र ना प्रस्तुत करना भी एक कारण है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	तात्कालिक
6	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना और सामुदायिक दावा पत्र नहीं मिलना।	सार्वजनिक	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेदारी का हक उनको नहीं मिला है। पिछले कुछ सालों से इसे सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन	गाँव सभा को जिम्मेदारी लेकर लोगों के व्यक्तिगत जमीन के पट्टे फाइल जमा करना होगा। काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पैनल्टी नहीं देने से पट्टा	दीर्घकालिक


		जाने का संकट खड़ा हो गया है।	खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	
--	--	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - कच्चे रास्ते, सी.सी. सड़क, पक्की सड़कें	टूटी हुई पक्की सड़क और सी.सी. सड़क को सही नहीं करवाना। कच्चे रास्ते को सी.सी. में नहीं बदलवाना। गाँव में बस की मांग नहीं करना। कठिन रास्तों और पहाड़ी होने के कारण सरकार भी बस सुविधा नहीं देती है।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी। रोड़ लाइट लगाने से दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जायेगी। बीमारी की हालत में मरीज को जल्दी चिकित्सा सुविधा मिल सकती है।	इस समस्या को लेकर अधिक से अधिक लोगों का गाँव सभा में नहीं आना, साथ ही वे इसको सरकार पर छोड़ रहे हैं।
जल-स्रोत	गाँव में सभी नाले, तलावड़ी, एनिकट और कुएं भू-जल स्तर के 200 फीट से भी नीचे जाने के कारण गर्मी आने से पहले ही सूख जाते हैं। वर्षा जल-संरक्षण का कोई ठोस कदम गाँव और पंचायत की ओर से नहीं उठाया गया है। गर्मी में पानी सूख जाने से संकट हो जाता है।	एनिकट मरम्मत और कच्चे और पक्के चेकडेम निर्माण, घरों में पक्की टंकी का निर्माण करवाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से रोका जाए जिससे भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता है और सिचाई के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है ज्यादा और तेज पानी के बहाव वाले स्थान पर	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए कोई पहल नहीं करना और योजना होते हुए भी ना क्रियान्वित करना। गाँव के लोगों की उदासीनता। गाँव सभा में इसके लिए प्रस्ताव लेना।

		नया एनिकट निर्माण करना ।	
आजीविका के साधन	गाँव में खेती और मनरेगा के अलावा और किसी रोजगार के साधन का अभाव । कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों पर वृक्षारोपण, अच्छी नस्ल के पशुओं का सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाना । लघुगृह उद्योग, सब्जी की खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। उन्नतशील बीज और बेहतर किस्म के पशुओं का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	सभी लोगों के पास कब्जे की जमीन के पट्टे ना होना । खेती की पर्याप्त जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गाँव की सार्वजनिक खाली पड़ी जमीन पर फलदार वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन	गाँव में 50 प्रतिशत लोगो को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है । जिन्हें मिल गया उनका मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है लेकिन साथ ही उन परिवारों का भी मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है ।	योजना को सही से लागू किया जाये और मिट्टी का तेल पुनः शुरू किया जाये ।	लोगो को भय है कि गैस कनेक्शन लेने से उनका भी केरोसिन अन्य लोगो की तरह बंद हो जायेगा और रात अँधेरे में गुजारनी पड़ जाएगी । दूसरी तरफ जिन्हें गैस मिल गयी है उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वे दुबारा सिलेन्डर रिफिल करवा पाए ।

➤ गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-



➤ गाँवसभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण -

प्रस्तावित कार्य	संख्या
पेंशन के सम्बन्ध में	
वृद्धा पेंशन	15
एकलनारी पेंशन	3
विकलांग पेंशन	1
पालनहार (0-5 वर्ष) (6-18 वर्ष)	3+4=7
पी.एम., सी.एम. आवास योजना	27
शौचालय निर्माण व बकाया राशि भुगतान	4
स्कूल के सम्बंध में	
3 अध्यापकों की नियुक्ति	रा.प्रा.वि. थैयाता
3 कमरों का निर्माण	
शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था	
आंगनवाड़ी सुचारु चलने के सम्बन्ध में	1

सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में	1
राशन की दुकान खोलने के सम्बन्ध में	1
रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में	
सी.सी. सड़क	10
कच्ची सड़क	2
तालाब गहरीकरण और रिन्गवाल	थैयाता तालाब
चेकडैम और एनिकट निर्माण व मरम्मत के सम्बन्ध में	9 चेकडैम 1 एनिकट मरम्मत
हैंडपंप के सम्बन्ध में	
नया हैंडपंप	10
पुराना हैंडपंप मरम्मत	3
शमशान घाट निर्माण के सम्बन्ध में	1
काबिज भूमि पर दावा लगाने के सम्बन्ध में	
वन भूमि पर सामुदायिक दावा फाइल लगाने के सम्बन्ध में	
आपसी विवाद निपटारा के सम्बन्ध में	
सामाजिक कुरीतियों पर रोक के सम्बन्ध में	

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

सेवा में,
श्रीमान सरपंच/अधिवक्ता महोदय,
ग्राम पंचायत
विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,
हम आपका ग्राम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है।
हम लोगों ने अपने इस रहवास की औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 2(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग) (1) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे हैं जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अधिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करें।
प्रतिलिपि :-
1. श्रीमान विकास अधिकारी
2. श्रीमान विभा कुलेस्टर महोदय
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4. निजी रिकॉर्ड
श्रीमान
गाँव विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
दिनांक: 21/07/21

पैना काउन्सिल 1996 सम्मान सरकार अधिनियम 1994
के अन्तर्गत माज दिशक 4/3/68/108 को अन्तर्गत
गोव सभा के बैठक अलावा के पाले सम्मानित कि
गई गोव मे उपस्थित होगे मे श्री गोवमणी शेट के
मन्त्रालय द्वारा जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की अध्यक्षता कि गई
गोव सभा के बैठक मे निम्न विषयों पर चर्चा
कि गई उनके प्रस्ताव लिखे गये और उसे पारित कि गये

- (1) एजेन्डा
पैना के सम्बन्ध मे विचार
वृद्धा पेंशन
विकलांग
एकलनारी
- (2) पी.एम. गावान निर्माण के सम्बन्ध मे
- (3) गोवाक्षय लक्ष्मी किशोर शुकवान के सम्बन्ध मे
- (4) विद्यालय के सम्बन्ध मे
- (5) गाननबाडी मे भिखने वाली पोषाखर के सम्बन्ध मे
- (6) सामुदायिक अवन निर्माण के सम्बन्ध मे
- (7) राजाजी दुकान खोलने के सम्बन्ध मे
- (8) नन्दा निर्माण के सम्बन्ध मे
- (9) बालाब के निर्माण के सम्बन्ध मे

केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध मे

- (10) एनिकट निर्माण के सम्बन्ध मे
- (11) टैण्डर प्रक्रिया और नया टैण्डर प्रक्रिया के सम्बन्ध मे
- (12) मेल जमावलीकरण / पञ्चवाडा निर्माण और तलावडी नए कुए के निर्माण
गौर पुराने कुए के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध मे
- (13) समझौता घाट बनवाने के सम्बन्ध मे
- (14) रक्षा गोपल के सम्बन्ध मे
- (15) काविले शुर्मे पर व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध मे
- (16) वन पर सामुदायिक जाया करने के सम्बन्ध मे
- (17) गोव के वापसी विवाद का निपटारा गोव सभा मे करने के सम्बन्ध
मे
- (18) सामाजिक सुरक्षा के खत्म करने के सम्बन्ध मे
डापन प्रथा
मोताना
वाल विवाद
वाल प्रेम



CamScanner

- सामाजिक सुरक्षा को खत्म करने के सम्बन्ध मे
- (1) बाल प्रेम पर रोक
 - (2) बाल विवाह पर रोक
 - (3) मोताना पर रोक
 - (4) डापन प्रथा पर रोक

प्रस्ताव का 12 मे
उपस्थित सामाजिक
सुरक्षा बाल प्रेम,
बाल विवाह मोताना
बाल, डापन प्रथा पर
रुकने का प्रस्ताव
नमाने का प्रस्ताव सर्व
समय मे पारित किया
गया

- गोव सभा की कार्यवाही को सम्मानित करने के निम्न
विभिन्न विधेयकों को अधिसूचित किया गया
- (1) सम्मानित करदाता
 - (2) मोताना विवाह
 - (3) सम्मानित करदाता
 - (4) सम्मानित करदाता
 - (5) सम्मानित करदाता

सम्बन्ध मे गोव सभा मे अधिसूचित लोगों के
सम्बन्ध मे देकर सभा का सम्मान किया

संकेत सम्बन्ध
संकेत सम्बन्ध
संकेत सम्बन्ध

संकेत सम्बन्ध
संकेत सम्बन्ध

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी)

1. रामलाल बरंडा 9610695013
2. मणिलाल रोत